Signature Not Verified
Digitally signed by Neeta Vasseeta
Date: 2022.05.31 11:31:28 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी व पदेन सहायक कलक्टर राशमी

पीठासीन अधिकारी :– **नीता वसीटा** (R.A.S.)

दोल्या पिता माधु जाति गाडरी नि० नेवरिया **उनवान** जगनाथ पिता गणेश जाति गाडरी नि० नेवरिया
बनाम

दावा बाबत् :– 188 RTA 1955
मुकदमा नम्बर :– 94/2016
निर्णय दिनांक :– 21/04/2022

वादी की ओर से अधिवक्ता की व प्रतिवादी की ओर से ——— की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 21/04/2022 को **नीता वसीटा** (नाम पीठासीन अधिकारी), उपखण्ड अधिकारी, **राशमी** के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि मौजा नेवरिया प०ह० नेवरिया की आ० नं० 1507 कुल किता-1, कुल रकबा 5-03 बीघा बाबत रास्ता विवाद इस आशय की जारी की जाती है कि वादी के कब्जेकाश्त हिस्से में प्रतिवादीगण किसी प्रकार से दखलदाजी, निर्माण कार्य, अवैध दखल नहीं करें, व नाही करावे।

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 21/04/2022 को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

न्यायालय सहायक कलेक्टर, राशमी जिला चित्तौड़गढ़

(नीता वसीटा)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
राशमी

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4. ——— रूपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय		आदेशिका की तामिल	
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामिल			
जोड		जोड	

1. बीजा पि० गणेश गाडरी नि० नेवरिया
2. लखन पि० जगन्नाथ गाडरी नि० नेवरिया
3. सुरेश पि० जगन्नाथ गाडरी नि० नेवरिया
4. रामु पति जगन्नाथ गाडरी नि० राशमी

(नीता वसीटा)
सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
राशमी